न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 30/2018/223 आरटीए

राजेन्द्रकुमार पुत्र जेठाराम जाति छिम्पा निवासी किकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलांट

बनाम

1. शिवनारायण पुत्र जेठाराम जाति छिम्पा निवासी चक 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रामनिवास पुत्र बृजलाल जाति छिम्पा निवासी चक 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–––रेस्पो0/वादीगण

3. साहबराम पुत्र स्व. सहीराम जाति छिम्पा निवासी चक 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. औमप्रकाश पुत्र स्व. सहीराम जाति छिम्पा निवासी चक 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. श्यामसुन्दर पुत्र बृजलाल पुत्र साहबराम पुत्र स्व. सहीराम जाति छिम्पा निवासी चक 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–––रेस्पो0/प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2014 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी मु.न. 38/2014 अनवानी शिवनारायण आदि बनाम साहबराम आदि

उपस्थित :–

श्री भानुप्रताप सिंह अधिवक्ता अपीलांट

श्री राजेशकुमार छिम्पा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2

श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 ता 5

निर्णय दिनांक 22.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश कर कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की चक 12 एसएलडब्ल्यू मे कृषि भूमि है। उक्त चक मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि के लिए सिंचाई व्यवस्था अनुकूल नही होने एवं भू–गर्भ का जल सिंचाई योग्य नही होने से वादीगण व प्रतिवादीगण ने मसीतावाली हैड के नजदीक चक 12 एनडीआर के खाता सं. 37/33 के प.न. 204/327 मु.न. 24 कि.न. 9/1 तादादी 0.127 है0 मे से खातेदार सुलतान पुत्र हीराराम से नलकूप लगाने के उदेश्य से कुल 0.217 है0 भूमि क्रय की थी तथा उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने सांझी क्रय की थी तथा इस भूमि को क्रय करने हेतु प्रतिफल राशि भी वादी सं. 1 ने 1/3 हिस्सा वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 3 ने बहिब 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने बहिब 1/3 हिस्सा वहन किया। इसी आधार पर घोषणा चाही कि उक्त 0.217 है0 भूमि मे वादी सं. 1 का 1/3

हिस्सा यानि 0.007233 है0, वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 3 का बहिस्सा बराबर 1 / 3 हिस्सा यानि 0.007233 है0 तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1 / 3 हिस्सा यानि 0.007233 हिस्सा होने तथा राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करने का अनुतोष चाहा जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रश्नगत भूमि नलकूप लगाने के उदेश्य से संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यो द्वारा सांझी क्रय की थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही रेस्पो0 सं. 1 ने उक्त भूमि मे से दर्ज 1 / 3 हिस्सा यानि 0.007233 है0 भूमि रेस्पो0 सं. 1 की अकेले की ना होकर उक्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 तथा अपीलांट की बहिस्सा बराबर की भूमि थी। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे चक 2 एनडीआर तहसील टिब्बी के खाता सं. 37 / 33 के प.न. 204 / 327 मु.न. 24 कि.न. 9 / 1 तादादी 0.127 है0 मे क्रयशुदा 0.0217 है0 भूमि मे से रेस्पो0 सं. 1 / वादी सं. 1 के नाम दर्ज 1 / 3 हिस्सा यानि 0.007233 है0 भूमि रेस्पो0 सं. 1 / वादी सं. 1 व अपीलांट को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावे तथा उक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद किये जाने के आदेश किये जावे तथा शेष अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रश्नगत भूमि चक 2 एनडीआर तहसील टिब्बी के खाता सं. 37 / 33 के प.न. 204 / 327 मु.न. 24 कि.न. 9 / 1 तादादी 0. 127 है0 मे क्रयशुदा 0.0217 है0 भूमि सिंचाई व्यवस्था हेतु नलकूप लगाने के उदेश्य से क्रय की गई है। वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पिता के नाम दर्ज है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे चक 2 एनडीआर तहसील टिब्बी के खाता सं. 37 / 33 के प.न. 204 / 327 मु.न. 24 कि.न. 9 / 1 तादादी 0.127 है0 मे क्रयशुदा 0.0217 है0 भूमि मे से रेस्पो0 सं. 1 / वादी सं. 1 के नाम दर्ज 1 / 3 हिस्सा यानि 0.007233 है0 भूमि रेस्पो0 सं. 1 / वादी सं. 1 व अपीलांट को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है तो रेस्पो0 सं. 1 को कोई आपत्ति एतराज नही है।

5. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि प्रश्नगत भूमि चक 2 एनडीआर तहसील टिब्बी के खाता सं. 37 / 33 के प.न. 204 / 327 मु.

न. 24 कि.न. 9/1 तादादी 0.127 है0 मे से 0.0217 है0 भूमि एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों द्वारा नलकूप लगाने के उदेश्य से संयुक्त (सांझी) क्रय किये जाने का कथन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा मे भी रेस्पो0/वादीगण द्वारा उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों द्वारा सांझी क्रय करने का कथन किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा मे अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही सांझी क्रयशुदा भूमि रेस्पो0/वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त अपने नाम दर्ज करवा ली गई। जबकि अपीलांट जो कि जेठाराम पुत्र स्व. लालूराम का पुत्र है तथा रेस्पो0सं. 1/वादी सं. 1 का सगा भाई है। इस प्रकार संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यो द्वारा सांझी क्रयशुदा भूमि मे रेस्पो0 सं. 1 के साथ साथ अपीलांट का भी हक हिस्सा निहित है तथा उक्त भूमि मे अपीलांट का हक व हिस्सा बनता है, इस तथ्य को रेस्पो0 सं. 1 द्वारा भी स्वीकार किया गया है और अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने मे अपनी सहमति प्रकट की गई है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.14 मे संशोधन किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2014 मे संशोधन किया जाता है कि चक 2 एनडीआर तहसील टिब्बी के खाता सं. 37/33 के प.न. 204/327 मु.न. 24 कि.न. 9/1 तादादी 0.127 है0 मे क्रयशुदा 0.0217 है0 भूमि मे से रेस्पो0 सं. 1/वादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 0.007233 है0 भूमि रेस्पो0 सं. 1/वादी सं. 1 व अपीलांट को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। उपरोक्तानुसार ही राजस्व अभिलेख मे अंकन किया जावें। शेष अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.14 यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 30/2018/223 आरटीए

राजेन्द्रकुमार पुत्र जेठाराम जाति छिम्पा निवासी किकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलांट

बनाम

1. शिवनारायण पुत्र जेठाराम जाति छिम्पा निवासी चक 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रामनिवास पुत्र बृजलाल जाति छिम्पा निवासी चक 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–––रेस्पो0/वादीगण

3. साहबराम पुत्र स्व. सहीराम जाति छिम्पा निवासी चक 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. औमप्रकाश पुत्र स्व. सहीराम जाति छिम्पा निवासी चक 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. श्यामसुन्दर पुत्र बृजलाल पुत्र साहबराम पुत्र स्व. सहीराम जाति छिम्पा निवासी चक 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–––रेस्पो0/प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2014 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी मु.न. 38/2014 अनवानी शिवनारायण आदि बनाम साहबराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री भानुप्रताप सिंह अधिवक्ता अपीलांट, श्री राजेशकुमार छिम्पा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2 एवं श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 ता 5 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2014 मे संशोधन किया जाता है कि चक 2 एनडीआर तहसील टिब्बी के खाता सं. 37/33 के प. न. 204/327 मु.न. 24 कि.न. 9/1 तादादी 0.127 है0 मे क्रयशुदा 0.0217 है0 भूमि मे से रेस्पो0 सं. 1/वादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 0.007233 है0 भूमि रेस्पो0 सं. 1/वादी सं. 1 व अपीलांट को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। उपरोक्तानुसार ही राजस्व अभिलेख मे अंकन किया जावें। शेष अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.14 यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 22.02.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ